निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C)के अंतर्गत कमज़ोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र



A. प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी English Capital लेटर मे भरे					
1. परिवार की 8 अंको की समग्र फेमली आईडी (अनिवार्य)					
2. प्रवेशार्थी का 9 अंको का समग्र आईडी (अनिवार्य)					
4. पिता का समग्र आईडी					
5 माता का समग्र आईडी					
3. प्रवेशार्थी का 12 अंको का आधार नंबर /Enrolment Number (अनिवार्य)					
B.प्रवेशार्थी के निवास एव संपर्क की जानकारी (पालक के वर्तमान निवास प्रमाणपत्र के अनुसार) केपीटल लेटर मे भरे					
a) जिला b) जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगरिनगम c) ग्राम पंचायत/जोन क्रमांक d) मोहल्ला/बसाहट e) मकान एवं f) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-1 g) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-2					
h) ईमेल(यदि हो तो)					
С. जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता,पिता,अभिभावक की जानकारी केपीटल लेटर मे भरे					
1) प्रवेशार्थी का प्रथम नाम					
4) लिंगः- बालक / बालिका 5) पिता का नाम माता का नाम					
6) Caste- General/OBC/SC/ST					
D. प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्गः-श्रेणी का कोड दर्ज करें :- 1.वर्तमान स्थिति मे जीवित बीपीएल कार्डधारी परिवार(अन्तोदयकार्डधारी) 2.अनुसूचितजाति 3.अनुसूचितजनजाति 4.विमुक्तजाति 5.वनग्रामपटटाधारी 6.विकलांग(CWSN) 7. महिला एवं बालविकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथबच्चे 8. HIV ग्रस्त बच्चे उपरोक्त श्रेणीयों (उपरोक्त सरल कंमाक 7,8 को छोड़कर) के संबध मे शासन के सक्षम अधिकारी द्वार प्रवेशार्थी के माता या पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारीप्रमाण पत्र का विवरण					
(i) क्रमांकदिनांक माह वर्ष					

जारीकर्ता कार्यालय एवं अधिकारी का पदनाम					
(ii) यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्कता (CWSN) केटेगरी का है तो जिला मेडिकल वोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रानुसार विकंलागता का प्रतिशत%विकंलागता का प्रकार					
(iii) यदि प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल वोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र कमांकदिनांक माह वर्ष					
(IV) कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे का विवरण बच्चे के माता—पिता / अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र					
Covidbalkalyan.mp.gov.in पर पंजीयन का पंजीयन कंमाक					
माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु दिनांक माह वर्ष- 2021					
E. प्रवेश हेतु कक्षा -नर्सरी/ केजी-1/ केजी -2/ पहली(1)					
F. प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल चयन का विवरण प्राथमिकता क्रम अनुसार निम्नानुसार हैः-					
स्कूल की प्राथमिक ता क्रमांक		प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का नाम एवं पता (प्राथमिकता क्रमानुसार ही स्कूल के नाम दर्ज करें)	आवेदक का भाई / बहिन क्या इस स्कूल में अध्ययनरत है यदि हॉ तो टिक करें	यदि कंमाक 4 में यदि विकल्प हॉ चुना जाता है तो क्या पालक इस बच्चे को भी इसी स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु सहमत है। हॉ/नही	
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
6					
6					
6 7 8					
6 7 8 9		माता/पिता/अभिभावक द्र	ारा घोषणा		
6 7 8 9 10	शपथपूर्वक घोषण	<u>माता/पिता/अभिभावक द्व</u> ाा करता/करती हॅ कि आवेदन में मे		ि स्वयं के संबंध में दी गई समस्त	
6 7 8 9 10 मैं जानकारी स	नही हैं। मेरे द्वारा	ाा करता/करती हूँ कि आवेदन में मे ा एक ही आवेदन किया जा रहा है,	रे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थ अन्य आवेदन नहीं रि	केया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा	
6 7 8 9 10 मैं जानकारी स्	गही हैं। मेरे द्वारा टहूँ कि आवेदक	गा करता/करती हूँ कि आवेदन में मे r एक ही आवेदन किया जा रहा है, पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम	रे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थ अन्य आवेदन नहीं रि की धारा 12(1)(C) वे	केया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा फ अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में	
6 7 8 9 10 मैं जानकारी स् करता/करती नि:शुल्क अध	नही हैं। मेरे द्वारा टूँ कि आवेदक ध्ययन नहीं किया	ाा करता/करती हूँ कि आवेदन में मे एक ही आवेदन किया जा रहा है, पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवे	रे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थ अन्य आवेदन नहीं रि की धारा 12(1)(C) ^{डे} ाट स्कूल में अधिनियम	केया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा फ अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में ा की धारा 12(1)(C) के तहत नि:शुल्क	
6 7 8 9 10 मैं जानकारी स् करता/करती नि:शुल्क अध्र प्रवेशित नर्ह	ग्ही हैं। मेरे द्वारा ट्हूॅ कि आवेदक ध्ययन नहीं किया ों है। किसी भी प्र	गा करता/करती हूँ कि आवेदन में मे एक ही आवेदन किया जा रहा है, पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवे कार की गलत जानकारी पाये जाने	रे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थ अन्य आवेदन नहीं कि की धारा 12(1)(C) वे ट स्कूल में अधिनियम की स्थिति के लिये व	केया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा क अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में ा की धारा 12(1)(C) के तहत नि:शुल्क मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। यदि	
6 7 8 9 10 मैं जानकारी स् करता/करती नि:शुल्क अध्यवेशित नर्ह किसी भी प्र	नही हैं। मेरे द्वारा ट्रॅंकि आवेदक ध्ययन नहीं किया ों है। किसी भी प्र प्रकार की असत्य	ाा करता/करती हूँ कि आवेदन में मे एक ही आवेदन किया जा रहा है, पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवे कार की गलत जानकारी पाये जाने जानकारी पायी जाती है तो मेरे ब	रे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थ अन्य आवेदन नहीं कि की धारा 12(1)(C) वे ट स्कूल में अधिनियम की स्थिति के लिये व	केया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा क अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में ा की धारा 12(1)(C) के तहत नि:शुल्क मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। यदि	
6 7 8 9 10 मैं जानकारी स् करता/करती नि:शुल्क अध्यवेशित नर्ह किसी भी प्रविधानिक क	नहीं हैं। मेरे द्वारा टूँ कि आवेदक ध्ययन नहीं किया में है। किसी भी प्र प्रकार की असत्य पर्यवाही के लिये प	ाा करता/करती हूँ कि आवेदन में मे एक ही आवेदन किया जा रहा है, पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवे कार की गलत जानकारी पाये जाने जानकारी पायी जाती है तो मेरे ब में जिम्मेदार रहूंगा/रहूॅगी।	रे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थ अन्य आवेदन नहीं रि की धारा 12(1)(C) वे ाट स्कूल में अधिनियम की स्थिति के लिये वे च्चे की सीट आवंटन	केया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में ा की धारा 12(1)(C) के तहत नि:शुल्क मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। यदि निरस्त कर दी जाये एवं मेरे विरूद्व	
6 7 8 9 10 मैं जानकारी स् करता/करती नि:शुल्क अध्यवेशित नर्ह किसी भी प्रविधानिक क	नही हैं। मेरे द्वारा ट्रॅंकि आवेदक ध्ययन नहीं किया ों है। किसी भी प्र प्रकार की असत्य	ाा करता/करती हूँ कि आवेदन में मे एक ही आवेदन किया जा रहा है, पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवे कार की गलत जानकारी पाये जाने जानकारी पायी जाती है तो मेरे ब में जिम्मेदार रहूंगा/रहूॅगी।	रे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थ अन्य आवेदन नहीं कि की धारा 12(1)(C) वे ट स्कूल में अधिनियम की स्थिति के लिये च्चे की सीट आवंटन की हस्ताक्षर/अगूँठे का	केया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में ा की धारा 12(1)(C) के तहत नि:शुल्क मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। यदि निरस्त कर दी जाये एवं मेरे विरूद्व	

आवश्यक सूचना-

- 1. आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में नि:शुल्क अध्ययन किया है अथवा वर्तमान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत नि:शुल्क प्रवेशित है तो आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है
- 2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखे।
- 3. आनलाइन आवेदन करने के पष्चात आवेदक द्वारा आरटीई पोर्टल से सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा एवं निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की आनलाइन पावती सहित अपने आवेदन में चयन किये गये जनशिक्षा केन्द्र है वहा पर सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- 4. आनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समय में मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समयाविध में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 5. सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम,माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण की जानकारी,आरटीई कोटा का अंकित जानकारी एवं मूल दस्तावेजों से मिलान न होने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
- 6. आवेदन पत्र में मोबाइल नबर-1 दर्ज किया है सत्यापन के समय इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा अतः इस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य है
- 7. एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त हो जायेगा।